अधिसूचना दिनांक 26.2.2010

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक : 18 फरवरी, 2010

क्रमांक –438/मप्रविनिआ/2010 विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) सहपठित धारा 91(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा म.प्र. राजपत्र में दिनांक 30 जनवरी, 2009 को अधिसूचित मप्रविनिआ (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 में निम्न संशोधन करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में द्वितीय संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : (i) ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण प्रथम) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2009 {एआरजी6 (I) (ii), वर्ष 2010}"** कहलाएंगे ।

(ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

(iii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. आयोग से संबंधित प्रकरणों में नियुक्त किये गये अधिवक्ता को देय व्यावसायिक शुल्क की अनुसूची में संशोधन।

(i) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 में आयोग से संबंधित प्रकरणों में नियुक्त किये गये अधिवक्ता को देय व्यावसायिक शुल्क की अनुसूची में निम्नलिखित अन्तरस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

viii	**विधिक मत हेतु शुल्क**	
	वरिष्ठ अधिवक्ता हेतु	**रू. 5000/–जिसमें टंकण इत्यादि हेतु खर्चे सम्मिलित हैं।**
	कनिष्ठ अधिवक्ता हेतु	**रू. 2500/– जिसमें टंकण इत्यादि हेतु खर्चे सम्मिलित हैं।**

(ii) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 में आयोग से संबंधित प्रकरणों में नियुक्त किये गये अधिवक्ता को देय व्यावसायिक शुल्क की अनुसूची में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

सरल क्रमांक	विवरण (प्रकरण)		शुल्क (रूपयों में)
i	1.	उच्च न्यायालयीन प्रकरणों में	अधिवक्ता हेतु 10,000/–तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हेतु 20,000/–
	2.	अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) संबंधी प्रकरणों में	आयोग द्वारा प्रकरण दर प्रकरण अनुसार निर्णित
	3.	सर्वोच्च न्यायालयीन प्रकरणों में	आयोग द्वारा प्रकरण दर प्रकरण अनुसार निर्णित

आयोग के आदेशानुसार

आयोग सचिव